न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवानः– संतरा देवी बनाम महेश व अन्य

किस्मः– आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट1955(टी.आई.) मु.नं – 194 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र
22.08.2023	प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता **श्री पुरूषोतम शर्मा** द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थिया के अनुरोध पर प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा **प्रार्थिया** के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं रहन विकय आदि करने पर आमादा हैं अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अन्तरिम रूप से प्रतिबंधित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 1100 रकबा 0.0300 हैक्ट, खसरा नं. 1101 रकबा 0.0600 हैक्ट, खसरा नं. 1102 रकबा 8.7000 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 8.7900 हैक्ट. वाकै ग्राम लक्ष्मणा का बास पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.09.2023 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उभयपक्ष एक दूसरे के कब्जे में दखलदांजी न करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 15.09.2023 को उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में नये तथ्य आने पर न्यायालय उक्त एकपक्षीय आदेश को कभी भी वैकेट कर सकता है। प्रार्थिया को सूचित रहे।** निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत भी करें, अन्यथा आगामी तारीख पेशी पर एकपक्षीय अंतरिम स्थगन स्वतः ही वैकेट हो जावेगा। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें, तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर उक्त अंतरिम आदेश स्वतः ही वैकेट हो जावे। पत्रावली आ.ता. पेशी 15.09.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी- सीकर उपखण्ड अधिकारी सीकर
15/9/23	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से Adv. भींवाराम मौजूद हाजिर। अप्रार्थी सं. 2 व 3 को तामील मजिद है। दोनों पक्षों की ओर से ... के अनुसार ... हाजिर नहीं ... लिखित कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है। ... उभय पक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेशार्थ

के लिये पाबन्द करने या सहमति प्रमाण का प्र०पत्र का अंतिम निस्तारण किये जाने का निवेदन व सहमति प्रमाण की। अतः उभयपक्षो को पाबिंदे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख० नं० 1100, 1101 व 1102 किता 3 कुल रकबा 8.7900 हे० वाके ग्राम भूणगा का बास तहसील व जिला सीकर की भूमि पर तादौराने दावा मौके की यथास्थिति कायम रखें। प०० तकमील मुताबिक होकर नम्बर से खारिज हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी- सीकर